न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्या:–
प्रविष्टि दिनांक:– 11/2012
11.10.2012

1. शंकर पुत्र भोजा जाति गुर्जर निवासी बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0।
2. बदरी पुत्र भोजा
3. किशनलाल पुत्र भोजा
3. किशनलाल पुत्र भोजा
4. जगदीश पुत्र रामकरण
5. गोपाल पुत्र भोजा
6. रामलाल पुत्र उद्दा
7. रंगलाल/उद्दा
8. बदरी पुत्र उद्दा
9. गोपाल हरनाथ
10. सूरज पुत्र उद्दा
11. रामदेव पुत्र श्री किशन
12. रतन पुत्र उद्दा
13. देवनारायण पुत्र रामनारायण
14. बदरी पुत्र रामकरण
15. रामा पुत्र खमाणा

जाति गुर्जरान निवासियान ग्राम बीजवाड तहसील देवली जिला टोंक

16. रामलाल पुत्र कलयाण जाति कुमावत नि0 बीजवाड तहसील देवली देवली जिला टोंक

..... प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0 ..... प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक.. प्रार्थीगण
(2) श्री जुगनू शर्मा , अभिभाषक... राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 01.06.2017

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नंबर 2561, 2681, 2682, 2684, 2696, 2686, 2697 वाके ग्राम बीजवाड तहसील देवली में स्थित है इसके अलावा ख0नं0 2683, 2691, 2695, 2922, 2923 वाके ग्राम बीजवाड तहसील देवली किस्म जमीन चरागाह स्थित है। उक्त वर्णित भूमियों में से 2561, 2681, 2682, 2684, 2696, 2686, 2697 की भूमियों पर प्रार्थीगण का गत 45 वर्ष से भी अधिक समय से लेकर आज तक लगातार कब्जां काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित भूमियों से प्रार्थीगण को तहसीलदार बेदखल करना चाहते है जिसे पाबन्द किये जाने हेतु यह प्रा0 पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत होने पर प्रतिपक्षी की तलबी जरिये नोटिस की गई एवं प्रार्थना पत्र टिप्पणी तहसीलदार देवली को भिजवाने हेतु लिखा गया जो प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी 2066–69 व नकले खसरा परिवर्तनशील पेश की है। बहस अभिभाषक प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रिकार्ड में उक्त वर्णित भूमियां चरागाह के रूप में उपयोग में नहीं आयी है बल्कि शुरू से कृषि भूमि रही है तथा उस पर खेती होती आ रही है । ग्राम बीजवाड के उक्त चरागाह पर प्रार्थीगण के अलावा गांव के अन्य लोगो का भी कब्जा है जिन्होने बरसो से कब्जा कर काश्त कर रखी है, प्रार्थीगण की वर्तमान में कोई काश्त नहीं है, तहसीलदार देवली द्वारा उनके विरूद्व राज0 ले0 रे0 एक्ट के प्रावधानो के तहत कार्यवाही कर उनका अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर रहे है बल्कि अवैध तरीके से बिना विधिक प्रकिया अपनाये नाजायज तरीके से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करना चाहते और गलत रूप से अतिक्रमण की कार्यवाही करना चाहते हैं, चरागाह भूमि पर प्रार्थीगण कभी भी काश्त नहीं करने एवं कब्जा हमेशा के लिए तैयार है, यदि तहसीलदार द्वारा उक्त चरागाह पर ग्राम बीजवाड के अन्य लोगो द्वारा किये हुए अतिक्रमण व कब्जे को चरागाह भूमि से उनके अतिक्रमण हटाने तथा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाता है, यदि तहसीलदार देवली द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्व गलत रूप से कार्यवाही अमल में लाये जाने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है जिससे तहसीलदार तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन पत्रावलियां मंगवाई जाकर टिप्पणी मंगवायी जाकर तहसीलदार से इस संबंध में टिप्पणी मंगवाना आवश्यक है तब तक प्रार्थीगण को किसी प्रकार बेदखल न करने के लिए आदेश पारित किया जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थीगण के साथ न्याय हो सके। अतः प्रा0 पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवली से टिप्पणी व पत्रावली तलब किये जाने एवं प्रार्थीगण को बेदखल नहीं किये जाने के आदेश फरमावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.09.12 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है, प्रा0 पत्र में उस समय जिस तहसीलदार देवली से कार्यवाही अपेक्षित थी, उनका स्थानान्तरण काफी अरसे पूर्व हो चुके है तथा उसके बाद तो कई तहसीलदार आये, उनसे कार्यवाही करवाई जानी चाहिए थी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

5. हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण एवं राजकीय पेरोकार की बहस को सुना, उस पर मनन किया। तहसीलदार देवली द्वारा उक्त वर्णित चरागाह भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल किया जा रहा है अथवा उनका अतिक्रमण हटाने पर आमादा है, प्रार्थीगण द्वारा चरागाह पर काश्त करने या न करने, भूमि पर उनका कब्जा काश्त होने बाबत जांच उपरान्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही व सुनवाई हेतु प्रकरण तहसीलदार टोडारायसिंह को स्थानान्तरण किया जाता है। प्रार्थीगण तहसीलदार टोडारायसिंह के समक्ष दिनांक 18.08.2017 को उपस्थित होवे। निर्णय आज दिनांक 01.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner